कार्यालय पुलिस उपायुक्त वरुणा जोन, पुलिस कमिश्नरेट वाराणसी

प्रेस नोट

दिनांक-28.12.2025

विषय:- थाना रोहनिया पुलिस टीम द्वारा कोडीन कफ सीरप मामले में वांछित 03 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया।

श्रीमान पुलिस आयुक्त वाराणसी महोदय द्वारा अपराधों की रोकथाम के मद्देनजर चोरी/लूट/अवैध ड्रग हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में, श्रीमान पुलिस उपायुक्त वरुणा जोन के निर्देशन मे, श्रीमान अपर पुलिस उपायुक्त वरुणा जोन के पर्यवेक्षण मे एवं श्रीमान सहायक पुलिस आयुक्त रोहनिया व प्रभारी निरीक्षक रोहनिया के नेतृत्व में थाना रोहनिया पुलिस टीम द्वारा कोडीन कफ सिरप मामले में संलिप्त अभियुक्तगण 1. स्वपलिन केसरी पुत्र मनोज केसरी वर्तमान पता.कृष्णा नगर चंधाशी मुगलसराय चंदौली मूल पता.100 राम मंदिर इस्तुन बाजार मुगलसराय थाना मुगलसराय जिला चंदौली 2. दिनेश कुमार यादव पुत्र रामनारायण यादव निवासी k 62/18 सप्तसागर मैदागिन थाना कोतवाली वाराणसी 3. आशीष यादव पुत्र किशोर यादव निवासी k- 67/145 ईश्वरगंगी थाना जैतपुरा वाराणसी को थाना रोहनिया पर पंजीकृत मु0अ0सं0 0343/2025 धारा 8/21/25/29 NDPS एक्ट व 111 बीएनएस में गिरफ्तार किया गया, आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

घटनाक्रम का विवरण: - दि0 19.11.2025 को थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0 0343/2025 धारा 8/21/25/29 NDPS एक्ट व 111 बीएनएस में थाना स्थानीय क्षेत्र भदवर स्थित गोदाम पर अवैध तरीके से नशीला सिरप PHENSEDYL 100 ML. COUGH SYRUP की कुल 18600 शीशी व 502 कार्टून मे ESKUF 100 ML. COUGH SYRUP की कुल 75150 शीशी कुल 93750 शीशी की बरामदगी करते हुए मौके पर अभियुक्त आजाद जायसवाल को गिरफ्तार किया गया । गिरफ्तार अभि0 से पूछताछ में ज्ञात हुआ कि बरामदशुदा माल शुभम जायसवाल का है मौके पर प्राप्त **बिल्टी / ई – वे बिल** से ज्ञात हुआ कि यह माल गाजियाबाद के आर0एस0 फार्मा से सिंह मेडिकोस चन्दौली को जाना था जिसे अवैध तरीके से थाना स्थानीय के भदवर स्थित महेश सिंह के गोदाम में छिपाकर रखा गया था अभियुक्त के बयान एवम् प्राप्त **बिल्टी / ई – वे बिल** के आधार पर गाजियाबाद स्थित आर0एस0 फार्मा के मालिक सौरभ त्यागी व शिवाकान्त उर्फ शिवा का नाम प्रकाश मे आया गिरफ्तार अभियुक्त आजाद जयसवाल द्वारा बताया गया कि यह माल शुभम जयसवाल का है जो कि बांग्लादेश मे 10 गुना उंचे दामो पर बेचा जाता है जिसके पस्चात पैसा हवाला के माध्यम से शुभम जयसवाल तक पहुचता है विवेचना के क्रम मे अभियुक्तों के बैंक खातों मे जमा करीब एक करोड से अधिक धनराशि फ्रीज कराया गया।

अपराध करने का तरीका

शुभम जयसवाल के निर्देशन मे शुभम जयसवाल वह पैसा दिनेश यादव/आशीष यादव/स्वपनिल केसरी के माध्यम से शेल फर्मों मे जमा कराता है

बांग्लादेश से हवाला/गोल्ड के माध्यम से पैसा शुभम जयसवाल तक पहुंचता है

बांग्लादेश मे 10 गुना दाम मे कोडीन सीरप बेची जाती है

कोडीन कफ सीरप शुभम जयसवाल के गोदाम से निकलकर अज्ञात स्थानों पर छिपाते हुये बांग्लादेस भेजवाई जाती है

शुभम की फर्मों से सिर्फ कागज पर कोडीन कफ सीरप की खरीद फरोक्त दिखाई जाती है

दिनेश यादव / आशीष यादव / स्वपनिल केसरी द्वारा शेल फर्म अल उक्बा सिंह मेडिकोज व एस0पी0 फार्मा खोली गयी

शुभम जयसवाल के निर्देशन मे फर्जी जीएसटी इनवाइस / बिल तैयार किया जाता और दिनेश यादव/आशीष यादव/स्वपनिल केसरी को पैसों के साथ दिया जाता था

नगद पैसों को शेल फर्मों मे जमा कर उन पैसों को आरटीजीएस के माध्यम से कई फर्मों मे भेजा जाता था

कई फर्मों से होता हुआ वह पैसा शुभम जयसवाल की न्यू वृद्धी / शैली/ अन्य फर्म मे पहुंचता है

दौराने विवेचनात्मक कार्यवाही सिंह मेडिकोस फर्म को जिस मकान में खोला गया उसके मकान मालिक एवं अलउकबा के प्रोपराइटर एवं सिंह मेडिकोस के सम्बन्धित बैंक कर्मचारी के बयान से प्रकाश में आये अभि0 1.स्वपलिन केसरी 2.दिनेश कुमार यादव 3.आशीष यादव उपरोक्त द्वारा सिंह मेडिकोस, अलउकबा व एसपी फार्मा नाम से तीन सेल फार्म कम्पनी शुभम जायसवाल के निर्देशन में खोला गया था जो सेल फर्म के तौर पर काम करती थी उन फर्मो में शुभम जायसवाल द्वारा हवाला के माध्यम से प्राप्त नगद रूपयों को प्रकाश में आये अभि0 1.स्वपलिन केसरी 2.दिनेश कुमार यादव 3.आशीष यादव उपरोक्त द्वारा सम्बन्धित बैंकों में नगद जमा किया जाता था और उन जमा किये गये पैसों को भिन्न भिन्न अन्य फर्मों के माध्यम से शैली ट्रेडर्स (शुभम जायसवाल की फर्म) के खाते में ट्रान्सफर करवाते थे जिससे हवाला के माध्यम से प्राप्त पैसों को लीगल तरीके से चलन में लाया जाता था जबकि कोडीन कफ सिरफ की खरीद फरोख्त सिर्फ कागजों पर ही किया जाता था कोडीन कफ सिरप शुभम जायसवाल के निर्देशन में अज्ञात स्थानों पर छिपाकर रखा जाता रहा था और गुपचुप तरीके से बांग्लादेश भेजवा कर 10 गुना दामों पर बेचा जाता था। दिनेश यादव एवम् आशीष यादव को शुभम जायसवाल व उसके सहायक देवेश के माध्यम से नगद रुपये व फर्जी बिल पहुँचाये जाते थे जिन्हे शुभम जायसवाल के निर्देशन में तैयार किये गये फर्जी बिल के आधार पर विभिन्न फर्मों में स्वपनिल केशरी द्वारा सिंह मेडिकोस, अलउकबा व एसपी फार्मा में विभिन्न तिथियों में भिन्न भिन्न बैंकों में काफी मात्रा में नगद रुपया जमा किया गया जिसके पश्चात वह नगद रुपये भिन्न भिन्न फर्मों के माध्यम से शुभम जायसवाल की फर्मों में ट्रान्सफर किया जाता रहा। सप्ताह में करीब चार दिन स्वपनिल का लोकेशन सप्तसागर मण्डी दिनेश यादव के दुकान के पास जो शुभम जायसवाल के सामने है, रहता था उसके पश्चात पैसा नगद जमा किये गये।

<u>पूछताछ विवरण –</u>

मुकदमा उपरोक्त घटना के बारे में अभियुक्तगण से बारी बारी व एक साथ पूछने पर जुर्म स्वीकार करते हुए बयान किये हैं कि हम सब कई वर्षो से दवाओं की खरीद फरोख्त का काम करते रहे हैं हम लोगों की जान पहचान सप्तसागर मैदागिन थाना कोतवाली वाराणसी हुई थी। अभियुक्त दिनेश कुमार यादव के दुकान के सामने शुभम जायसवाल की दवा की दुकान है। दिनेश कुमार यादव और आशीष यादव ने स्वपनिल केशरी को पैसा कमाने का तरीका बताया और शुभम जायसवाल से कई बार मिलवाया और शुभम जायसवाल ने हम लोगों को मेडिकल फार्मा एजेंसी की रजिस्टर्ड दुकान खोलने का तरीका बताया तो हम लोगों द्वारा शुभम जायसवाल के साथ मिलकर जनपद चंदौली में तीन मेडिकल का एजेंसी फर्म खोला गया।1. SP फार्मा काली महल मुगलसराय चंदौली जिसकी ऑनर सबा परवीन के नाम से खोला गया। 2.अलउक्बा मेडिकल एजेंसी जिसका धारक . सद्दाम हुसैन जो मेरे यहा पेन्टिंग का काम करने आया था के नाम से खोलवाया गया था जो संजय केसरी के मकान में खोला गया था 3.सिंह मेडिकोज जिसका धारक नागेंद्र कुमार सिंह के नाम से खोला गया है। जिसकी मकान मलिक रेखा देवी पत्नी सूर्यनाथ यादव पता 1166/D कृष्णा नगर कालोनी मुगलसराय जनपद चंदौली के मकान में खोला गया था। सभी खोले गए तीनों मेडिकल फर्म में उस कंपनी का बोर्ड लगाकर कुर्सी मेज रखकर फोटो खिंचवा ली जाती थी ।और उसकी जीएसटी आदि बनवाकर रजिस्ट्रेशन करवा लिया जाता था ।और उन फर्म में कभी कोई दवा नहीं आई थी। इन कंपनी के नाम से शुभम जायसवाल और दिनेश कुमार यादव व आशीष यादव द्वारा न्यू फ़ैंसाडील व इसकफ कफ सिरप उन लोगों द्वारा मंगवा कर बनारस चंदौली व अन्य जिलों में गुप्त रूप से गुप्त स्थान पर रखकर स्टोर करवाते थे।और गुप्त रूप से बेचते थे। सिंह मेडिकोज के नाम से आर एस फार्मा गाजियाबाद से दिनांक.01.08. 2025 को इसकफ कफ सिरप ट्रक द्वारा आया था वह कफ सिरप शुभम जायसवाल का था न्यू फैंसाडील कफ सिरप भी टाइटन फिटनेस जिम भदवर रोहनिया में कई बार पहले उतरवा कर रखा गया था जो कि बरामद हो गया था और वहां से माल बांग्लादेश भेज दिया गया था। कफ सिरप के नाम से बिक्री का नगद पैसा स्वपनिल केशरी को बैग में भरकर मैदागिन सप्तसागर में दिनेश कुमार यादव द्वारा अपनी दुकान पर सप्तसागर मैदागिन में दिया जाता था और उस पैसे को स्वपनिल केशरी व आशीष यादव जो दिनेश कुमार यादव के भतीजे हैं दोनों लोग उस पैसे को ले जाकर जो तीन फर्जी फर्म के नाम से हम लोगों द्वारा बैंक खाता खुलवाया गया था जो कि बैंक आफ महाराष्ट्र नीची बाग वाराणसी व यूनियन बैंक ऑफ़ इंडिया वाराणसी में करोडो रुपये नगद जमा द्वारा किया जाता रहा और उसी दिन जमा किए गए पैसों शुभम जायसवाल द्वारा बताये गये फर्मों में चेक द्वारा आरटीजीएस से अन्य मेडिकल फर्म के बैंक खाते में ट्रांसफर करवा दिया करता था। फिर वह जमा पैसा अन्य फर्म के खातों से ट्रांसफर होकर शैली ट्रेडर्स में चला जाता था। शैली ट्रेडर्स शुभम जायसवाल की है। 1.SP फार्मा 2.अलउक्बा मेडिकल एजेंसी 3.सिंह मेडिकोज तीनों कंपनियों के खातों की चेक जारी करवा कर तीनों खुलवाई गई मेडिकल कंपनियों के ऑनर से सभी चेको पर हस्ताक्षर बनवाकर ले लेते थे। नगद पैसा जमा करते समय इस चेक पर पैसा भर कर और दिनांक लिखकर अन्य कंपनियों में

आरटीजीएस से पैसा दूसरी कंपनी में ट्रांसफर करवा देते थे ।जो पैसा हम लोग नगद बैंक में जमा करते थे ।वह पैसा दिनेश कुमार यादव द्वारा शुभम जायसवाल के किसी आदमी से लेकर हम लोगों को जमा करने के लिए देते थे। हम लोगों के इस काम करने के लिए शुभम जायसवाल द्वारा हर माह काफी पैसा दिया जाता था और जिला चंदौली में तीनों मेडिकल के दवा के खोले गए फर्म को हम लोगों द्वारा शुभम जायसवाल के कहने पर खुलवाया गया था और जीएसटी नम्बर आदि बनवाया गया था और रजिस्टर्ड करवाया गया था। इन फर्मो में कभी कोई दवा स्टोर के लिए नहीं रखी गई। इन फर्मो के नाम से दवा केवल काग़ाजो में अंकित होती थी। और फर्मों के स्थानों पर कोडीन कप सिरप कभी नहीं आती थी वह शुभम जायसवाल के बताये गये स्थानों पर रखी जाती है और वहीं से आवागमन किया जाता है।

गिरफ्तार अभि0 का विवरणः-

1. स्वपलिन केसरी पुत्र मनोज केसरी वर्तमान पता.कृष्णा नगर चंधाशी मुगलसराय चंदौली मूल पता.100 राम मंदिर इस्तुन बाजार मुगलसराय थाना मुगलसराय जिला चंदौली उम्र करीब 29 वर्ष
2. दिनेश कुमार यादव पुत्र रामनारायण यादव निवासी k 62/18 सप्तसागर मैदागिन थाना कोतवाली वाराणसी उम्र करीब 41 वर्ष
3. आशीष यादव पुत्र किशोर यादव निवासी k67/145 ईश्वरगंगी थाना जैदपुरा वाराणसी उम्र करीब 39 वर्ष

गिरफ्तारी का स्थान,दिनांक व समयः -

थाना रोहनिया कमि0 वाराणसी दिनांक 28.12.2025, समय समय 22.15 बजे

आपराधिक इतिहास –

1.मु0अ0सं0 0343/2025 धारा 111 बीएनएस व 8/21/25/29 एनडीपीएस एक्ट थाना रोहनियां
2.मु0अ0सं0 1054/2025 धारा 319(2)/318(4)/338/336(3)/340(2)/61(2)क बीएनएस व 8/22/27/29 एनडीपीएस एक्ट थाना राबर्ट्सगंज सोनभद्र
3.मु0अ0सं0 571/2025 धारा 206ए/371/276/318(4) थाना मुगलसराय चन्दौली
4.मु0अ0सं0 313/2025 धारा 8/21/22/29 एनडीपीएस एक्ट थाना रामनगर वाराणसी

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम का विवरण –

प्रभारी निरीक्षक श्री राजू सिंह थाना रोहनिया कमिश्नरेट वाराणसी ।
व0उ0नि0 घनश्याम निषाद, थाना रोहनिया कमिश्नरेट वाराणसी
उ0नि0 भरत चौधरी, थाना रोहनिया कमिश्नरेट वाराणसी
उ0नि0 राम कुमार पाण्डेय थाना रोहनिया कमिश्नरेट वाराणसी ।
उ0नि0 दिनेश सिंह थाना रोहनिया कमिश्नरेट वाराणसी
हे0कां0 अखिलेश कुमार थाना रोहनिया कमिश्नरेट वाराणसी

सोशल मीडिया सेल
पुलिस उपायुक्त
वरुणा जोन, कमिश्नरेट
वाराणसी।